Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2018 SISRRJ | Volume 1 | Issue 1 | ISSN : 2581- 6306

भारत में केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण : एक मूल्यांकन

डॉ0 सीमा पंवार
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलिज, मेरठ

सारांश– समाज में शायद कोई भी शोषित एवं वंचित वर्ग की उन्नति के विरोध में नहीं है किन्तु ऐसी व्यवस्था, जो एक को सुख दे और दूसरे को चोट पहुँचाए, की समीक्षा होनी आज पूर्णतः प्रासंगिक दिखाई देती है। ताकि समय पर रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ करके प्रशासनिक क्षमता के अभाव से भी बचा जा सके और युवा पीढ़ी को भी संतुष्ट किया जा सके।

मुख्य शब्द– भारत, केन्द्रीय, आरक्षण, संविधान, समाज।

भारतीय संविधान के अनुसार आरक्षण से अभिप्राय समाज के दलित, कमजोर एवं अन्य पिछड़ों के लिये सामान्य चयन की न्यूनतम अर्हता में शिथिलता बरत कर सरकारी सेवाओं में भर्ती अथवा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश का उपलब्ध करना माना गया। आरक्षण का मूल उद्देश्य वंचितों को शेष समाज के बराबर तक लाना था। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत में आरक्षण को सामाजिक पुनर्निर्माण के औज़ार के रूप में प्रयुक्त किया, जिसके प्रमाण भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होते हैं। इन प्राविधानों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग लाभान्वित होता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह प्राविधान है कि 'इस (16) अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदो के लिए आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।' अनुच्छेद 16 (4) (क) के अनुसार 'इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्यों के अधीन सेवाओं में (किसी वर्ग के अनुवर्ती वरिष्ठता के साथ प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण करने से निवारित नहीं करेगी।

उपरोक्त प्राविधानों को आधार मानकर केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति को 15:, अनुसूचित जनजाति को 7.5: तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27: (1993 से) प्रदान किया गया जिसका विशलेषण इस प्रकार किया जा सकता है।

तालिका नं०–1

भारत में केन्द्रीय सेवा में कुल सदस्य संख्या एवं उनका प्रतिशत2

1 जनवरी	अनुसूचित जाति	%	टनुसूचित जनजाति	%	गैर अनुसूचित जाति / जनजाति	%	कुल
1978	787937	15	245065	4.7	4226481	80.3	5259483
1980	876035	15.8	275360	4.0	4386555	79.2	5537950
1989	1115127	17.1	421827	6.5	4969658	76.4	6506612
1990	1145573	17.5	438962	6.7	4963610	75.8	6548145
1999	1063576	16.7	414810	6.5	4887303	76.8	6365689

2000	1050085	16.6	415156	6.6	4853191	76.8	6318432
2001	1059674	16.9	420331	6.7	4808668	76.5	6288673
2004	910523	17.1	369280	6.9	4043521	76.0	5323324
2008	490773	17.45	192102	6.83	2129211	75.7	2812086
2010	526486	17.15	219781	7.16	2323851	75.69	3070118
2011	518397	17.2	222442	7.4	2271379	75.4	3012218

दो मंत्रालयों को छोड़कर

तालिका नं0–1 में प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सेवाओं में वर्ष दर वर्ष बढ़ा है। किन्तु 1990 के पश्चात् अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के परिणामस्वरूप इन वर्गों के प्रतिनिधित्व में कुछ गिरावट हुई परन्तु वर्ष 2001 के उपरान्त पुनः इनके द्वारा अपने प्रतिनिधित्व की दर में वृद्धि की गई। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट, 2012–13 से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वंचित वर्गों में जागरुकता निरन्तर जारी है, क्योंकि आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण प्राप्त होने के बावजूद उनका

प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सेवाओं में 17.2% है। अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण प्राप्त है। और उनका प्रतिनिधित्व केन्द्रीय सेवाओं में 7.4% है। इन आँकड़ों से यह तो स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करके अपने सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का सफल प्रयास किया है, किन्तु यह कहना मुश्किल है कि यह लाभ इस वर्ग के सभी परिवारों तक पहुँचा है अथवा सीमित परिवारों द्वारा ही इसका लाभ लिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह तथ्य भी सामने आता है कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अभी भी अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व अत्यधिक कम है। इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें आरक्षण की सुविधा वर्ष 1993 में प्रदान की गई है और उसके पश्चात् उसमें क्रीमीलेयर की भी आय सीमा को अपनाया गया है। पिछले वर्षों के आँकड़ों से अन्य पिछड़े वर्ग की स्थिति निम्न तालिका से ज्ञात की जा सकती है।

तालिका नं0–2

भारतीय केन्द्रीय सेवाओं में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व3

वर्ष 1 जनवरी	अनुसूचित जाति संख्या	%	अनुसूचित जनजाति संख्या	%	अन्य पिछड़ा वर्ग संख्या	%	सामान्य संख्या	%	कुल
2008	4,90,773	17.45	1,92,102	6.83	1,93,228	6.87	19,35,983	68.85	28,12,086
2010	5,26,486	17.15	2,19,781	7.16	4,33,265	14.	18,90,586	61.58	30,70,118

						11			
2011	5,18,397	17.20	2,22,442	7.40	4,47,155	14.8	1824224	60.60	30,12,218

उपरोक्त तालिका से यह प्रमाणित हो जाता है कि पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व 0.25% कम हुआ है। यद्यपि अभी भी यह उनके लिए आरक्षित प्रतिशत सीमा से 2.20% अधिक है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व पिछले तीन वर्षों में 0.57% बढ़ा है किन्तु यह अभी भी आरक्षित प्रतिशत सीमा से 0.1% कम है। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें तो वर्ष 2008 से 2011 तक उनके प्रतिनिधित्व में 7. 93% यानि दुगुने से भी अधिक वृद्धि हुई है, किन्तु उन्होंने अभी भी अपने लिये तय आरक्षित सीमा 27% को प्राप्त नहीं किया है। इसका मुख्य कारण शायद यह है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों के प्रति जागरुक हैं उनमें से अधिकांश क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आ गए हैं और जो क्रीमीलेयर में नहीं हैं वो नौकरियों के प्रति जागरुक भी नहीं हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उनके लिए आरक्षित पदों को केवल उन्हीं श्रेणियों के उम्मीदवारों से भरा जाए। सीधी भर्ती में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन श्रेणियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने पर, आगे आने वाली भर्ती वर्ष में पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों के रूप में अग्रेनीत करने की व्यवस्था की गई है। पदोन्नति में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ रिक्तियों को भी भरा न जाकर, उन्हें पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों के रूप में अग्रेनीत कर दिया जाता है। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे दोनों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विशेष अभियान वर्ष 2004 में चलाया गया था जिसमें इन आरक्षित वर्गों की 60,000 से अधिक पिछली बकाया रिक्तियाँ भरी गई थी।

अन्य पिछड़ा वर्ग की पिछली बकाया रिक्तियों को गिने जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण वर्ष 2004 में अन्य पिछड़ा वर्ग की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा सका क्योंकि ऐसी गिनती के अभाव में ऐसी रिक्तियों पर आरक्षण की सीमा 50% लागू थी। जुलाई 2008 में, सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को एक पृथक और विशिष्ट समूह गिने जाने का निर्णय किया गया, जो 50% की आरक्षण सीमा की बाध्यता से मुक्त था। अपने इस निर्णय के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए नवम्बर 2008 में एक नया विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर 01 नवम्बर 2008 में पिछली बकाया रिक्तियाँ कुल 75,522 थी, जिनमें वर्ष 2012 में मार्च के अन्त तक 47,727 रिक्तियों को भर दिया गया, जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका नं०–35

श्रेणी	**घोषित पिछली बकाया रिक्तिया**			**भरी गई पिछली बकाया रिक्तियाँ**		
	सीधी भर्ती	**पदोन्नति**	**कुल**	**सीधी भर्ती**	**पदोन्नति**	**कुल**
अनुसूचित जाति	10955	13458	24413	7707	9642	17349
टनुसूचित जनजाति	11400	17637	29037	6927	9753	16678

अन्य पिछड़ा वर्ग	22072	N.A.	22072	13700	N.A.	13700
कुल	44427	31055	75522	28332	19395	47727

रिपोर्ट 2012–13

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरक्षित वर्ग में योग्य एवं अर्ह उम्मीदवार न मिलने की दशा में सरकार के लगभग 75000 पद रिक्त पड़े रहे, जो निश्चित रूप से सरकारी कार्यों के समय पर पूरा न होने का एक मुख्य कारण है। दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग का युवा वर्ग बेरोजगार की चिन्ता से ग्रसित योग्य होने के बावजूद भी इसलिए रोजगार प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि जहाँ पद खाली थे उसके लिए उन्हें किसी न किसी आरक्षित वर्ग का होना अनिवार्य था। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए यदि वंचित वर्ग के लिए आरक्षण को हम अनिवार्य मान भी लें, तो भी यह स्थिति अनुचित लगती है। यह तो वही बात हुई कि भूखे व्यक्ति के आगे पकवानों से भरा थाल रखकर कह दिया जाए कि वह उसके लिए नहीं है। समाज में शायद कोई भी शोषित एवं वंचित वर्ग की उन्नति के विरोध में नहीं है किन्तु ऐसी व्यवस्था, जो एक को सुख दे और दूसरे को चोट पहुँचाए, की समीक्षा होनी आज पूर्णतः प्रासंगिक दिखाई देती है। ताकि समय पर रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ करके प्रशासनिक क्षमता के अभाव से भी बचा जा सके और युवा पीढ़ी को भी संतुष्ट किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ

1. भारत का संविधान, प्रकाशक भारत सरकार
2. वार्षिक रिपोर्ट– कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय–1970–2012 वित्त एवं लोक उद्यम सर्वेक्षण मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट
3. पूर्वोक्त
4. भारत में लोक प्रशासन, बी.एल. फड़िया पृष्ठ 464, 2013
5. वार्षिक रिपोर्ट कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय 2012–13